जनपद हमीरपुर

थाना-जरिया **दिनांक 16.11.2026**

थाना जरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।



पुलिस कार्यवाही-

अवैध शस्त्रों की रोकथाम एवं अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.11.2026 को थाना जरिया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना एवं चेकिंग के दौरान ग्राम गुटकवारा गेट के पास, बहद ग्राम गुटकवारा से दीपक उर्फ बंटी पुत्र लक्ष्मी निवासी ग्राम खेड़ाशिलाजीत, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर थाना जरिया पर मु0अ0सं0 200/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

दीपक उर्फ बंटी पुत्र लक्ष्मी निवासी ग्राम खेडाशिलाजीत थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 217/19 धारा 13 जी एक्ट थाना जरिया
2. मु0अ0सं0 197/2026 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना जरिया
3. मु0अ0सं0-200/26 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जरिया

गिरफ्तारी का स्थान –

गुटकवारा गांव के गेट के पास बहद ग्राम गुटकवारा थाना जरिया, हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण –

एक अदद तमंचा .315 बोर एव एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 शान्तनु चतुर्वेदी
2. हे0का0 पंकज सिंह
3. का0 अंचल पटेरिया